कामकाजी महिला

वर्ष 7 अंक 2 अगस्त 1994 मूल्य : 2 रुपये

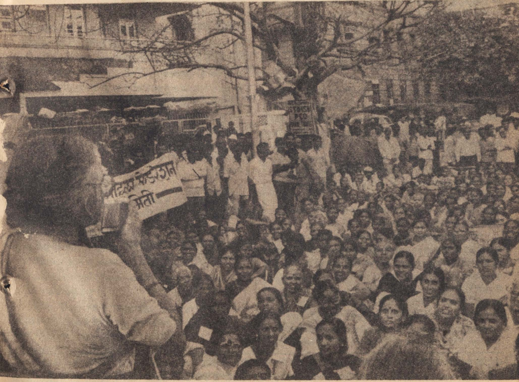

आंगनवाड़ी कर्मचारियों की हड़ताल

आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के विरोध में 17 जून को हड़ताल की गई जो अत्यंत सफल रही है। इस संबंध में कुछ राज्यों से हमें और रिपोर्टें मिली हैं। महाराष्ट्र के अमरावती, नागपुर तथा पुणे जनपदों से भी हड़ताल होने के समाचार मिले हैं। लगभग सभी आंगनवाड़ियां उस दिन बंद रहीं। नागपुर में तो दूध के वितरण का काम स्वयं अधिकारियों को करना पड़ा। रामनगर में महिलाओं द्वारा भारी प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा उसे मार्ग में ही रोक लिया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों की ओर से सभा का आयोजन किया गया। सी आइ टी यू के कामरेड केशव, भीम राव, बैंक नेताओं तथा अन्यों ने जनसभा को संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता सी आइ टी यू नेता कामरेड अमृत मेसरान ने की। संध्या जोशी ने जनसभा में शामिल होने के लिये कर्मचारियों का धन्यवाद किया।

पूणे में हड़ताल को अभूतपूर्व सफलता मिली। शत प्रतिशत आंगनवाड़ियां उस दिन बंद रहीं। उनका प्रमुख नारा था– आंगनवाड़ियों का निजीकरण न करो तथा उन्हें गैर सरकारी संगठनों के सपुर्द न करो। जिला परिषद तथा समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के समक्ष भारी प्रदर्शन किया गया। उस समय वहां बैठक चल रही थी। मुख्य अधिकारी श्रीमती मोनोलिका ने बाहर आकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संबोधित किया। कर्मचारियों ने शिकायत की कि उनसे साक्षरता अभियान के अंतर्गत काम लिया जाता है किंतु इसके लिये उन्हें कोई मानदेय नहीं मिलता। अधिकारी ने बताया कि इसके लिये राज्य सरकार की ओर से कोई राशि नहीं दी जाती तथापि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी। कर्मचारियों ने आंगनवाड़ी परियोजनाओं के निजीकरण के विरोध में नारे लगाए। इस अवसर पर श्रीमती शकीम ने जनसभा को संबोधित करते हुए आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की तथा बताया कि उन्हें हड़ताल करने पर विवश क्यों होना पड़ा।

पंजाब में हड़ताल : चण्डीगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 17 जून को पंजाब के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में हड़ताल की गई। कुल 45 प्रखण्डों में से एक आध को छोड़कर सभी प्रखण्डों में हड़ताल शत प्रतिशत रही। जिला तथा तहसील केंद्रों में कर्मचारियों की ओर से धरने दिये गए। और अधिकारियों को मांग पत्र भेंट किये गए। इन केंद्रों में लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, फरीदकोट, रोपड़, पटियाला, फतेहगढ़ साहेब, अजनाला, गढ़शंकर, फिल्लौर [जालन्धर], सुल्तानपुर लोधी तथा बुढलाडा इत्यादि शामिल हैं।

[पेज 16 पर]

इस अंक में

आंगनवाड़ी कर्मचारियों की हड़ताल	2
महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा	3
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय मुसलमान महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षा	4
इस्लामी जेहाद से पीड़ित तसलीमा नासरीन	6
आंगनवाड़ी फेडरेशन	7
पश्चिम बंगाल में कामकाजी महिलाओं की उप समितियां	8
महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ी	9
महिला बीड़ी श्रमिकों की जनसभा	11
कामकाजी महिलाओं की कार्यशाला का आयोजन	12
आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की गतिविधियां	14
अफगान महिलाओं की करुण कथा : कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन !	15

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं. 3714071) सम्पादित और प्रकाशित प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित.

महिलाओं के लिये सामाजिक सुरक्षा

☐ कृष्णा सेन गुप्त

राष्ट्रीय महिला आयोग, एस एस ए आई तथा एफ ई एस द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी की विषय वस्तु से ही महिलाओं के प्रति समाज का पक्षपाती रुख उभर कर सामने आ जाता है। हम 'महिलाओं के लिये सामाजिक सुरक्षा' जैसे विषय पर विचार क्यों कर रहे हैं? हम पूरे समाज के बारे में ही विचार क्यों नहीं करते? सभी पुरुषों एवं महिलाओं, श्रमिकों, किसानों इत्यादि की स्थिति पर चिंतन क्यों नहीं करते? कोई भी व्यक्ति अपने इस तर्क के पक्ष में सैंकड़ों प्रश्न उठा सकता है! दोनों लिंगों के मध्य समान अधिकारों को न्यायोचित ठहराए जाने पर भी ये प्रश्न उभरते रहेंगे। मैं मानती हूं कि महिलाओं की कुछ विशेष सामाजिक समस्याएं हैं जैसे बच्चे को जनना या उसकी देखभाल करना इत्यादि! इन पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। और सचमुच ही ये प्रश्न या समस्याएं हमारे विशेष चिंतन की मोहताज हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा के लिये बहुत कम कानून बनाए गए हैं। कामकाजी महिलाओं के सम्बन्ध में तो यह बात और भी कष्टप्रद है! वे चाहे जिस भी क्षेत्र में काम क्यों न करें, उन्हें नाम मात्र (या बिलकुल नहीं) सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए कानून इस प्रकार हैं:

(क) श्रमिक उपभोक्ता अधिनियम 1923

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ई एस आई) 1948

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि या अन्य छिटपुट व्यवस्थाओं सम्बन्धी अधिनियम, 1942

(घ) पेमैंट आफ ग्रैच्युटी एक्ट, 1972

(ङ) प्रस्तूति लाभ अधिनियम 1961

उपरोक्त सूची में केवल (ङ) ही कामकाजी महिलाओं पर लागू होता है। शेष सभी सामान्य प्रकृति के हैं और उनका महिलाओं पर भी प्रभाव पड़ता है।

किन्तु केवल उद्योग के संगठित क्षेत्र तथा सरकारी या अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामकाजी महिलाएं ही प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 की परिधि में आती हैं।

हमारा सामान्य अनुभव दर्शाता है कि सभी पूंजीवादी देशों जिनमें हमारा अपना देश भी शामिल है, में विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं तथा सामान्य रूप से अन्य महिलाओं के साथ पक्षपात होता है। यह पक्षपात समान अधिकारों तथा असमान वेतनों के मामले में होता दिखायी देता है। कामकाजी महिलाओं जो मजदूर वर्ग का ही एक भाग हैं, के विरुद्ध होने वाले अन्याय तथा पक्षपात के विरोध में ट्रेड यूनियनों तथा लोकतांत्रिक आंदोलनों को एकजुट होकर जूझना होगा। 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल श्रम शक्ति 31 करोड़ 47 लाख है। उसमें से एक तिहाई अर्थात् 9 करोड़ 14 लाख कामकाजी महिलाएं हैं। उनमें से 23 लाख सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 14 लाख निजी क्षेत्र में काम करती हैं। उपरोक्त आंकड़ों पर दृष्टिपात करने से जो दुखद तथ्य उभरता है उसके अनुसार शेष महिलाएं घरेलू प्रकृति के काम धंधों में लगी हुई हैं। उन्हें अकथनीय कष्ट झेलने पड़ते हैं और परिवारों में उन्हें प्राय: दूसरे दर्जे की माना जाता है।

देश की स्वतंत्रता के 47 वर्षों के पश्चात् भी संविधान के अनुच्छेद 42 तथा अनच्छेद 43 मृग तृष्णा बने हुए हैं। यही नहीं वर्षों तक संघर्ष करके कामकाजी महिलाओं के लिये जो लाभ प्राप्त किये गए थे, उन्हें भी नरसिम्हा राव सरकार नयी आर्थिक नीतियों के नाम पर समाप्त कर रही है।

महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिये इस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिये:

1. शिक्षा के लिये विशेष उत्तरदायित्व!
2. पुरुषों के समान अधिकारों की गारंटी।
3. प्रसूति अवकाश बढ़ा कर छह मास का किया जाए।
4. वैज्ञानिक ढंग से शिशु पालन गृहों को चलाने के लिये विशेष प्रबंध किये जाएं।
5. बाल महिला (बच्चियों) मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे परिवारों के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
6. मां तथा बच्चे के लिये स्वास्थ्य की देखभाल सम्बन्धी सुविधाएं जुटाई जाएं।
7. महिलाओं के विरुद्ध समाज विरोधी हिंसा करने वालों को

[पेज 7 पर]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय मुसलमान महिलाओं के लिये कितनी सुरक्षा

☐ नीना राव

मुसलमान निजी कानून शाहबानों मामले के पश्चात् जोरदार बहस का विषय बना था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् एक बार फिर मुसलमान महिलाओं से सम्बन्धित विधेयक चर्चा का केन्द्र बिंदु बन गया है। न्यायालय का निर्णय क्या है?

उत्तर प्रदेश में भूमि सम्पत्ति (संशोधन) अधिनियम 1972 लागू किया गया था। इसी अधिनियम के अन्तर्गत 1974 में सीमा से अधिक भूमि रखने के कारण रहमतुल्ला को एक नोटिस जारी किया गया। उसने इस पर अपनी आपत्ति दायर की तथा तर्क दिया कि भूमि उसकी पत्नी की है जिससे उसने 1969 में तलाक ले लिया था। अतः उक्त सम्पत्ति गलती से उसके नाम कर दी गई है। उसकी पत्नी खातून निशा ने बताया कि उसने 11 वर्ष पूर्व अर्थात् 1980 में अपने पति से तलाक ले लिया था। न्यायालय ने रहमतुल्ला की आपत्ति को रद करते हुए 1982 में एक आदेश जारी किया कि उक्त भूमि फालतू है। रहमतुल्ला तथा खातून निशा ने 1984 में अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। यह जानने के लिये कि क्या सम्बन्धित पुरुष तथा महिला के मध्य वास्तव में ही तलाक हो चुका है या वे भूमि सीमा कानून से बचने के लिये ऐसा कर रहे हैं न्यायालय ने उनकी याचिकाएं दाखिल कर लीं। दोनों अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे। दोनों ने एक और याचिका दायर की। अप्रैल 1993 में उस पर नये सिरे से सुनवाई की गई। यह पाया गया कि दोनों में कोई तलाक नहीं हुआ है और न ही वे कानूनी रूप से अलग-अलग रह रहे हैं। न्यायालय ने इस पर आदेश दिया कि रहमतुल्ला तथा उसकी पत्नी की आय को संयुक्त माना जाए। तलाकनामा तथा खातुन निशा के पिता की साक्षी को पर्याप्त नहीं माना गया। क्योंकि वे एक ही गांव में और एक ही घर में निरंतर एक साथ रह रहे हैं, इसलिए उनके मध्य तलाक को माना नहीं जा सकता।

न्यायालय के समक्ष विचारणीय मुद्दा यह था कि क्या एक ऐसी महिला जिसे मौखिक रूप से तलाक दे दिया गया हो कानूनी रूप से अलग रह रही या तलाक शुदा महिला को उपलब्ध होने वाले लाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायामूर्ति तिलहारी ने निर्णय दिया कि परम्परागत तलाक वह चाहे शरीयत कानून या हिन्दु विवाह अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया हो, किन्तु यदि वह संविधान की व्यवस्थाओं का हनन करता हो तो उसे वैध तलाक नहीं माना जा सकता। क्योंकि तिहरा तलाक महिला के प्रति पक्षपातपूर्ण है, इसलिए यह तलाक वैध नहीं हैं। इस निर्णय से कई बातें स्पष्ट हुई हैं:

1. खातुन निशा शरीयत अधिनियम 1937 के अनुसार तलाकशुदा है किन्तु मुसलमान महिलाओं सम्बन्धी अधिनियम 1986 के अन्तर्गत वह गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। तभी न्यायालय के निर्णय में उसे भूमि-सीमा अधिनियम के अन्तर्गत छूट नहीं मिली और उसका नियंत्रण समाप्त कर दिया गया।

2. उसे भूमि सीमा अधिनियम की दृष्टि से विवाहिता माना गया और उसने उस भूमि पर से अपना अधिकार खो दिया है जो अभी उसके नाम पर है।

इस निर्णय में विरोधाभास यह है कि जहां तिहरे तलाक को पक्षपातपूर्ण माना गया है वहीं मुसलमान महिलाओं सम्बन्धी अधिनियम उन्हें गुजारा भत्ता उपलब्ध नहीं कराता। दूसरे खातुन निशा ने न्यायालय के निर्णय को चुनौती नहीं दी। उसने तो केवल यही कहा कि वह तलाकशुदा है। क्या उस स्थिति में राज्य उसे मात्र इस लिये कि तलाक भूमि-सीमा कानून से बचने के लिये लिया गया है, विवाहिता बनी रहने पर विवश कर सकता है। कोई न्यायाधीश यह कैसे प्रमाणित कर सकता है कि तलाक आखों में धूल झोंकने की कार्रवाई है फिर जबकि वह पति-पत्नी दोनों की सहमति से लिया या दिया गया है। मुसलिम कानून तलाकशुदा पति-पत्नी दोनों के कानूनी रूप से पृथक रहने को मान्यता नहीं देता। हिन्दू कानून

इसे मान्यता देता है। यह प्रश्न परम्परागत विशिष्ट कार्य व्यवहार का है जबकि कानून निर्माता इस तथ्य को समझने में विफल रहे हैं। तीसरे, तथ्य तो यह है कि तलाक के मामले पर बहस निरंतर तीन महीनों तक चलती रहती है। इन तीन बैठकों में महिला की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। यह महत्वपूर्ण है कि तलाकशुदा मुसलमान महिला गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी है और उसका सामान तथा 'मेहर' उसे वापस मिल जानी चाहिये ताकि ससुराल से उसका दखल समाप्त न हो।

दिलचस्प बात तो यह है कि पारिवारिक अदालतें जो सस्ती हैं और तलाक मांगने वाले जोड़े की समस्याओं का तेजी के साथ निदान सुझाती या करती हैं, को अल्पसंख्यक समुदाय के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। इन्हें उच्च न्यायालयों को सौंपा जाता है जिनकी कार्रवाई बहुत खर्चीली और अधिक तकनीकी है। इसके कारण अपने विवाह का निपटारा करने के लिये अनेक महिलाएं काजियों और मौलवियों के पास जाने को विवश होती हैं। खातुन निशा का तलाक इसलिए वैध नहीं है क्योंकि वह पूर्वत: अपने ससुराल में रह रही है। यही इस निर्णय का आधार है। अनेक महिलाएं अपने ससुराल की सम्पत्ति में से अपने लिये हिस्सा चाहती हैं क्योंकि उनका दूसरा कोई ठिकाना नहीं होता। प्रैस ने इस मामले की तुलना शाहबानो के मामले से की है। शायद इसलिए क्योंकि दोनों मामलों का सम्बन्ध मुसलिम निजी कानून के साथ है। जहां शाहबानो मदद के लिये अदालत में गई थी वहीं खातुन निशा को उसकी भूमि के स्वामित्व से वंचित किया गया है और इस आधार पर कि दोनों पति और पत्नी की सम्पत्ति एक ही है या दोनों की सम्पत्ति को पति की सम्पत्ति माना जा रहा है। भूमि सीमा कानून प्रत्येक बालग पुत्र के लिये तो अतिरिक्त दो हेक्टेयर भूमि रखने की अनुमति देता है किन्तु बालग पुत्री को यह अधिकार नहीं दिया गया। निजी कानून के अन्तर्गत महिला अधिकारों की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है किन्तु इस निर्णय के द्वारा उनके सम्पत्ति रखने के अधिकार की अवहेलना की गई है।

मुसलमान निजी कानून बोर्ड तथा अन्य कठमुल्लावादियों ने इस आधार पर न्यायालय के निर्णय की आलोचना की है कि वह धारा 25-28 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के लिये बनाई गई संविधानिक व्यवस्थाओं की अवहेलना करता है। धर्मनिरपेक्ष संगठनों तथा महिला संगठनों जिनमें मुसलमान महिलाएं भी शामिल हैं ने इसे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षार्थ उठाया गया एक धनात्मक कदम बताया है। इस्लामी विद्वानों ने तिहरे तलाक की आलोचना करते हुए विचार व्यक्त किया है कि निजी कानून में सुधार समुदाय के भीतर ही किया जाना चाहिए। न्यायालय का निर्णय जिसका सम्बन्ध भूमि विवाद के साथ है, तिहरे तलाक की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाने का समुचित आधार नहीं है क्योंकि यह एक अधिक संवेदनशील और गम्भीर मामला है। तिहरे तलाक के प्रश्न पर जो नि:संदेह महिलाओं के साथ सम्बन्ध रखता है, पर विचार करते समय मुसलमान महिलाओं को विवाहोत्तर सम्बन्धों, सम्पत्ति में महिलाओं का अधिकार तथा ससुराल की सम्पत्ति में उसका समुचित अधिकार सुनिश्चित बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। यदि महिलाओं ने लाभान्वित होना है तो तिहरे तलाक के मामले को इससे अलग नहीं रखा जाना चाहिए।

कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं के लिये अध्यापक प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन

आंध्र प्रदेश कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति की ओर से दो, तीन, नौ तथा दस जुलाई को विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में कामकाजी महिलाओं के लिये अध्यापक प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया गया।

इन कक्षाओं में 'समाज का उदय', 'आर्थिक नीतियां', 'भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन का इतिहास' तथा 'कामकाजी महिलाएं एवं ट्रेड यूनियन आंदोलन' जैसे विषय पढ़ाए गए। ये कक्षाएं कामरेड राजेश्वरा राव, एम बी एस शर्मा, रघु तथा हेमलता द्वारा ली गईं। इनमें राज्य के पांच जिलों की 23 महिलाओं ने भाग लिया।

यह निर्णय किया गया कि आंगनवाड़ी महिलाओं तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिये भी कक्षाओं का आयोजन किया जाए ताकि नयी अध्यापिकाएं उसे व्यवहार में ला सकें जो उन्होंने सीखा है। यह निर्णय भी लिया गया कि इस अनुभव की समीक्षार्थ तथा उसमें सुधार लाने के लिये तीन मास के पश्चात एक कार्यशाला लगाई जाय।

विशाखापट्टनम जिला सम्मेलन अक्टूबर में होगा। उसी मध्य नयी समिति के लिये कक्षाएं लगाई जाएंगी। हैदराबाद में दो क्षेत्रीय समितियों का गठन किया जाएगा। विजयवाड़ा समन्वय समिति को सुदृढ़ बनाया जाएगा और वहां सितंबर और अक्टूबर में कक्षाएं लगाई जाएंगी।

इस्लामी जेहाद से पीड़ित तसलीमा नासरीन

इस्लामी कठमुल्लावादियों ने तीस जून को बंगला देश में आम हड़ताल करने का आह्वान किया था। उनकी मांग थी कि 'लज्जा' उपन्यास की सुप्रसिद्ध लेखिका तसलीमा नासरीन को गिरफ्तार करके फांसी दी जाए। उसका कसूर यह है कि उसने बाबरी मसजिद के विध्वंस के पश्चात् बंगला देश में अल्प संख्यकों के साथ हुए दुर्व्यवहार की स्थिति का चित्रण किया था।

दूसरी ओर 27 जून को बंगलादेश की राजधानी ढाका में लेखकों, चित्रकारों, कामगारों, शिक्षकों द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। उन्होंने खुल कर तसलीमा नासरीन के जीने के अधिकार, उसके लिखने व विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन ही नहीं किया अपितु उसके पक्ष में अपनी जोरदार मांग भी उठाई। इस जनसभा पर कठमुल्लावादियों ने धावा बोला और उसे भंग कर दिया। बंगला देश के कवि तथा विद्वान शमसुर रहमान ने इस पर टिप्पणी करते हुए ठीक ही तो कहा है, 'कठमुल्लावादियों का हमला एक अभियान के अन्तर्गत किया गया है। यह अभियान जो केवल तसलीमा नासरीन के विरोध में नहीं चलाया जा रहा अपितु उस कदम को पीछे हटाने के लिये किया जा रहा है जो बंगला देश ने 1971 के अपने मुक्ति युद्ध के पश्चात् शांति एवं प्रगति की दिशा में उठाया था। कठमुल्लावादी एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जो पौंगापंथी एवं धर्मांधता से परिपूर्ण हो।'

अवामी लीग सहित देश के सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने इस्लामी गुटों के इस बढ़ रहे खतरे के विरुद्ध चेतावनी दी है। विपक्ष ने अब तक तसलीमा विवाद में लगभग मौन साधे रखा है। उसे भय था कि कहीं उसे भारत समर्थक ही न मान लिया जाए। किन्तु धीरे-धीरे उसने अनुभव करना शुरू किया कि बंगला देश सरकार के भीतर विद्यमान कुछ तत्व कठमुल्लावादियों को संरक्षण दे रहे हैं और उन्हीं तत्वों के कारण गत 4 जून को तसलीमा नासरीन की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। देश में धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा प्रगतिशील राजनीतिक विकल्प न होने के कारण ही बंगला देश भारत विरोधी या समर्थक, धर्मांध एवं कठमुल्लावादी शक्तियों के चंगुल में फंस चुका है। वहां की राजनीति का केन्द्र बिंदु इस्लाम बन गया है और मसजिद एक स्थायी राजनीतिक मंच का रूप ले चुकी है।

देश के वरिष्ठ अधिकारी तथा अल्पसंख्यक विदेशी केवल यही दावा करने पर विवश हैं कि यदि तसलीमा स्वयं को पुलिस के सुपुर्द कर दे तो वे उसकी रक्षा कर सकते हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि तसलीमा नासरीन के विरूद्ध धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप देश के कानून के अन्तर्गत ही लगाया गया है। मुसलिम लीग के अध्यक्ष काजी अब्दुल ने ढाका में पश्चिम कूटनीतिज्ञों के साथ बातचीत करते समय स्पष्ट कहा, उसके लिये सुरक्षा की मांग करके आप 'नास्तिकों का पक्ष मत लीजिये।' नासरीन को फांसी देने की मांग तभी उठी थी जब कठमुल्लावादियों के समर्थक समाचारपत्र 'इंकलाब' में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि तसलीमा कुरान में संशोधन करने की मांग कर रही है। तसलीमा ने उस समाचार का खण्डन करते हुए कहा कि वह यह अनुभव करती है कि पुरुष एवं महिला के माध्य समानता को सुनिश्चित बनाने के लिये शरीयत कानून में संशोधन किया जाना चाहिए।

एक धार्मिक नेता नजरुल इस्लाम ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि जो कोई भी तसलीमा नासरीन की हत्या करेगा वह उसे दो हजार डालर का पुरस्कार देंगे। इस प्रकार सार्वजनिक रूप से मृत्यु दण्ड देने के बारे में बंगला देश का कानून स्पष्ट नहीं है। शायद इसी लिये प्रधान मंत्री बेगम खालिदा जिया ने इस मामले में बंगला देश के कानून को दृष्टिलोप करने का निश्चय किया है जैसा कि एक मुसलमान गुट सी आइ सी द्वारा दी गई धमकी के सम्बन्ध में किया गया था।

तसलीमा नासरीन की आस्था किसमें है?

अपने पुरस्कृत 'संकलित स्तम्भों' में उसने महिलाओं के शोषण के सम्बन्ध में अपने विचारों की साहसिक अभिव्यक्ति की है। वह महिला विशेष रूप से दबी कुचली और दबाई गई महिलाओं के हितों एवं लक्ष्यों की चैम्पियन है। उसकी क्रांतिकारी विचारधारा कड़ी आलोचना करने की उसकी बौद्धिक क्षमता के साथ जुड़ी हुई है। इससे कठमुल्लावादियों को उस पर प्रहार करने का बहाना मिल गया है। वास्तविकता तो यह है कि उसके विचारों ने ही उसे भारत में लोकप्रिय बनाया है। इससे भी कठमुल्लावादी चिढ़ से गए हैं और वे उसे सबक सिखाने के लिये तुले हुए हैं। 'लज्जा' उपन्यास में तसलीमा ने लिखा है कि "इस दिन से धर्म का नाम मानवता का पर्याय बन गया है।" हम सब उसकी भावनाओं का आदर करते हैं। हम सलमान रुश्दी प्रकरण के भी साक्षी रहे हैं और अब तसलीमा नासरीन को निर्वासन झेलने को विवश किया जा रहा है, केवल इसलिए कि उसके पास कठमुल्लावाद (पौंगापंथ) पर संदेह करने, उसकी आलोचना करने और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अदम्य साहस है। अपने अधिकार का प्रयोग करते समय तसलीमा ने एक प्रकार से अपने लक्ष्य या उद्देश्य जो उसे अत्यंत प्रिय है, के पक्ष में अपनी मनाभिव्यक्ति ही तो की है। उसका लक्ष्य है बंगला देश

की महिलाओं की मुक्ति! इसके लिए वह अपने प्राणों का बलिदान भी कर सकती है। आज हम जिस विश्व में रह रहे हैं, वहां हम अपनी मांग रख सकते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसकी हमें स्वतंत्रता है। तसलीमा को भी अपने विचार व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। यह अधिकार उससे छीना नहीं जाना चाहिए। ये वही मूल्य हैं जिनका हम आदर करते हैं। हमें विश्व भर की धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ मिल कर जोरदार शब्दों में कहना होगा-''तसलीमा नासरीन को भी जीने का अधिकार है!'' जैसा कि ओक्तावियों पाज़ ने कहा था, ''बलिदान से जैसा कि धार्मिक अनुष्ठानों में देखा जाता है, राजनीतिक लाभ होता है और इसके साथ-साथ वह अनुष्ठान का प्रतीक बन जाता है! यह साथ-साथ चलता है।'' आईये हम, इस बात को सुनिश्चित बनाएं कि किसी भी स्थिति में तसलीमा नासरीन की प्रतिबद्धताओं का बलिदान न होने दिया जाए। □

[पेज 3 से]

कठोर दण्ड दिये जाएं।

8. पुलिस तथा न्यायालयों के प्रशासन में समुचित सामाजिक अनुभूति उपजाई एवं विकसित की जाए। पुरुषों के आधिपत्य वाले व्यवसायों को सामंती जंजीरों से मुक्त कराने का प्रयास किया जाए।
9. ट्रेड यूनियन तथा लोकतांत्रिक आंदोलन की ओर से कानूनों को कार्यरूप दिलाने के लिये आंदोलन किया जाना चाहिए।
10. निस्सहाय महिलाओं के लिये वृद्धावस्था लाभों की व्यवस्था की जाए।

आलेख में इस समस्या के समाधान हेतु कुछ और बिंदु भी उठाए गए हैः

1. अविवाहित माता तथा उसके बच्चों के पुर्नवास का प्रबंध करना।
2. अपंग महिलाओं का पुर्नवास।
3. दरिद्रजनों को उनके रहने के लिये आश्रम प्रदान करना।

उपरोक्त विषयों एवं बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श किये जाने की आवश्यकता है। कामकाजी महिलाओं को सेवा लाभ मिलें, उनके प्रति समानता, सहृदयता एवं सहानुभूति भरा व्यवहार हो इसके लिये जनता में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इसके लिये व्यक्तियों, संस्थाओं तथा सरकार को भगीरथ प्रयास करने होंगे। □

आंगनवाड़ी फेडरेशन

दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन पश्चिम बंगाल में होगा

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन की कार्य समिति एवं जनरल कौंसिल की बैठक 18 तथा 19 जुलाई को दिल्ली में हुई। दोनों बैठकों की अध्यक्षता फेडरेशन की अध्यक्षा कामरेड विमल रणदिवे ने की।

उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति कामरेड किम इल सुंग की मृत्यु पर एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया तथा सभी सदस्यताओं ने एक मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि भेंट की।

जनरल कौंसिल की बैठक में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उनकी 17 जून को देशव्यापी हड़ताल की सफलता के लिये बधाई दी गई। कर्मचारियों ने आइ सी डी एस परियोजनाओं का निजीकरण करने संबंधी भारत सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल की थी। बैठक में फेडरेशन के दूसरे सम्मेलन के संबंध में विचार किया गया तथा इसे 27-28 अक्टूबर 94 को पश्चिम बंगाल में करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन स्थल के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य समिति की ओर से ही निर्णय किया जाएगा। यह निर्णय भी किया गया कि प्रतिनिधियों की कुल संख्या ढाई सौ के लगभग हो और दो दिवसीय सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि शुल्क पचास रुपये प्रति प्रतिनिधि रखा जाए।

अखिल भारतीय सम्मेलन में पारित किये जाने वाले मांग पत्र के संबंध में भी विचार किया गया।

सभी संबंधित राज्यों को परिपत्र जारी कर दिये गये हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे सम्मेलन के लिये पूर्ण तैयारियां करें, उसमें शामिल हों और अपने-अपने राज्यों की संगठनात्मक रिपोर्ट केंद्रीय मुख्यालय को भेजें। सम्मेलन में प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे, इसकी सूचना बाद में दी जाएगी।

कौंसिल ने निर्णय लिया है कि वह केंद्रीय सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में आयोजित होने वाले संघर्ष के सभी कार्यक्रमों में भाग लेगी। इसका निर्णय जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच के गत 21 जून 94 को दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में लिया गया था। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया कि वे देशव्यापी जन आंदोलनों में बढ़-चढ़ कर भाग लें।

पश्चिम बंगाल में कामकाजी महिलाओं की उप समितियां

☐ लीला दास

सी आइ टी यू के महाधिवेशन के पश्चात् हमने विभिन्न यूनियनों के स्तर पर उप समितियों का गठन किया है। इन उप समितियों में कलकत्ता बंदरगाह एवं गोदी, नगर निगम सेक्सबी तथा कलकत्ता की पूर्व कार्यालय यूनियन इत्यादि सम्मिलित हैं।

कलकत्ता जिला उप समिति ने फिलिप्स, एल एम ई, राज्य परिवहन, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक, सिटी ईटिंग वर्करस यूनियन इत्यादि में कार्यरत कामकाजी महिलाओं की अलग से एक उप समिति बनाने का निर्णय किया था।

हम अभी तक असंगठित क्षेत्र में उप समिति का गठन नहीं कर सके हैं। हमें बीड़ी तथा दर्जी यूनियन जहां महिलाएं काम करती हैं, में उपसमिति का गठन करने हेतु गम्भीर प्रयास करने होंगे। कलकत्ता उप समिति ने पहले ही अपने सदस्यों के मध्य कार्यों का विभाजन कर दिया है। कामरेड कृष्ण सेन गुप्त ने दर्जी तथा कामरेड अंजलि दास गुप्त ने बीड़ी यूनियनों में काम का उत्तरदायित्व सम्भाल लिया है। प्रत्येक मास निर्धारित तिथि पर बैठक होती है।

कलकत्ता जिला उप समिति ने इन उपसमितियों को सी आइ टी यू के सभी कार्यक्रमों में शामिल करने का निर्णय लिया है ताकि वे वर्तमान गम्भीर स्थिति में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हो सकें। यदि हम अपने कार्यक्रमों में कामकाजी महिलाओं को शामिल नहीं करेंगे तो दूसरे लोग उनका उपयोग आंदोलन में फूट डालने तथा सी आइ टी यू आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए करने लगेंगे। इस के फलस्वरूप हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हम इसी उद्देश्य को सामने रख कर कामकाजी महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी मध्य मैंने 9 जुलाई तथा 15 जुलाई को इन उपसमितियों की बैठक बुलाने का प्रयास किया था किन्तु उसमें सफलता नहीं मिली तथापि हम इसके लिये धैर्यपूर्वक बार-बार प्रयास कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ हमें अपने तौर पर और संयुक्त रूप से कामकाजी महिलाओं की मांगों के लिये संघर्ष करना चाहिए। हमारा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अल्पावधि तथा दीर्घावधि कार्यक्रम बनाए जाएं। हमारा सुझाव है कि इसके लिये केन्द्रीय श्रम मंत्री को मांग पत्र भेंट करें, राज्य समितियों के माध्यम से उच्चाधिकारियों से शिष्टमंडलों के रूप में मिलें तथा जिला स्तरों पर धरने दें एवं प्रदर्शन इत्यादि करें। उन कार्यक्रमों से पूर्व हमें अनेक स्तरों पर गुट-बैठकों एवं सेक्शन बैठकों का आयोजन करना चाहिए।

हमें कामकाजी महिलाओं की संयंत्र स्तर पर या आवासीय स्तर पर शिशु पालन गृहों की स्थापना करने से सम्बन्धित ज्वलंत मांग को यथाशीघ्र उठाना चाहिए। श्रम कल्याण समिति 1969 की संस्तुतियों में स्पष्ट रूप से इस ढंग से शिशु पालन गृहों की स्थापना करने की बात कही गई है। किन्तु किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है।

नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों तथा केन्द्रीय सरकार को सामुदायिक शिशु पालन गृह बनाने का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। ये गृह बड़े शहरों या नगरों के केन्द्रीय स्थानों या आवासीय स्थलों के निकट होने चाहिएं ताकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं भी इनका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें।

वर्तमान में अल्प वित्तीय संसाधनों के कारण नगर पालिकाएं या स्थानीय निकाय इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। यदि नगर पालिकाएं या पंचायतें इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने हेतु पूरी गम्भीरता के साथ आगे आएं तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इसके लिए आवश्यक धन उपलब्ध करा सकती हैं। हम उपरोक्त श्रमिक कल्याण समिति की संस्तुतियों की ओर अत्यावश्यक रूप से केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाना चाहेंगे।

हमें अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में एक राष्ट्रीय अभियान चलाना होगा और सरकार को यह मांग स्वीकार करने पर विवश करना होगा। शिशु पालन गृहों की मांग को राष्ट्रीय मांग पत्र में शामिल किया जाना चाहिए। अत: मैं सी आइ टी यू नेतृत्व से अनुरोध करती हूं कि वह दूसरे राज्यों में कामकाजी महिलाओं की ऐसी उपसमितियों का गठन करने के काम में सहायता दे।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि कलकत्ता जिला तथा पश्चिम बंगाल राज्य नेतृत्व ने सदा आगे बढ़ कर कामकाजी महिलाओं के लिये उप समितियां बनाने के काम में हमारी सहायता की है। इस सहायता के फलस्वरूप ही हम कामकाजी महिलाओं के लिये उप समितियां बना सकते हैं। अन्य राज्यों में भी ऐसी उपसमितियों का गठन हो, यह देखना सी आइ टी यू नेतृत्व का उत्तरदायित्व है। ☐

महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ी

☐ अहिल्या रांगणेकर

(हौलनाक जलगांव कांड ने जहां समूचे देश को सदमें जैसी स्थिति में डाल दिया है और समाज में विक्षोभ की भावनाएं गहराई तक फैल गई हैं, वहां महिलाओं में अपने सम्मान को लेकर भारी चिंता उत्पन्न हुई है। उनमें अपराधी तत्वों के हाथों किसी भी समय खतरा उत्पन्न होने के संदेह एवं असुरक्षा की भावनाओं ने घर कर लिया है। सैंकड़ों महिलाओं विशेष रूप से कम आयु की लड़कियों का बार-बार शोषण किया जाना और उनका भयादोहन करना हमें जंगलीपन की अनुभूति कराता है। इस कांड के अपराधी न केवल प्रभावशाली व्यक्ति हैं अपितु उन्हें राज्य की कांग्रेस सरकार का भी संरक्षण प्राप्त होता रहा है। शिव सेना वाले भी इस काम में पीछे नहीं रहे हैं। किस प्रकार भोली भाली लड़कियों को देह व्यापार करने के लिये विवश किया जाता रहा है, इसकी तथ्यपरक जानकारी दे रही हैं कामरेड अहिल्ला रांगणेकर! सी पी आई (एम) की केन्द्रीय समिति की सदस्य तथा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष कामरेड अहिल्ला ने 13-15 जुलाई तक जलगांव तथा भुसावल का दौरा किया था। इस सम्बन्ध में उनकी रिपोर्ट यहां प्रकाशित की जा रही है-सम्पादक)

जलगांव सैक्स कांड को लेकर जलगांव जिले के कोने-कोने में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में ही भारी शोर उठा है। इस कांड के रहस्योद्घाटन के बाद से जलगांव व भुसावल नगरों में आम लोगों के बीच और विशेष रूप से महिलाओं तथा युवतियों के बीच, डर व असुरक्षा की और विक्षोभ की गहरी भावनाएं फैली हैं।

इस कांड के सिलसिले में अब तक जो हौलनाक तथ्य सामने आये हैं, उनसे अब सभी परिचित हो चुके हैं। इस कांड से संबंधित शुरूआती रिपोर्टों का आना 21 जून को उस समय से शुरू हुआ था जब, पुलिस के दावे के अनुसार बंबई बम कांड में जलगांव के कुछ लोगों की भूमिका की छान-बीन करते समय, इसके हाथ अचानक कुछ अश्लील वीडियो कैसेट लगे। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि इस कांड पर पड़ा पर्दा अगर अचानक हटा है तो इसका श्रेय कांग्रेस की अंदरूनी प्रतिद्वंद्विताओं को और जलगांव नगर परिषद में, जिस पर कांग्रेस का नियंत्रण है, उसकी अंदरूनी गुटबाजी को ही जाता है।

बहरहाल, पूरे तेरह वर्ष से महिलाओं तथा कम-उम्र लड़कियों पर बार-बार किये जाने वाले अत्याचारों, बलात्कार तथा ब्लैकमेल का यह सिलसिला पुलिस की नाक के ऐन नीचे चलता रहा था। जलगांव का होटल तिरुपति, जो इस कांड के मुख्य अड्डों में से एक बना हुआ था और जिसे अब पिछले दिनों सील किया गया है। वह पुलिस की आवासीय कालोनी से सिर्फ कुछेक गज की ही दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद, अब पुलिस यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस कांड पर से बाकायदा पर्दा उठने से पहले उमे, जरा सी भी गुन-सुन भी नहीं थी कि क्या हो रहा है। लेकिन, जलगांव में तथा भुसावल में हमें बताया गया कि इस जाल में फंसायी गयी लड़कियों में से कुछ ने हताश होकर पुलिस मुख्यालय को अनेक अनाम चिट्ठियां भी भेजी थीं। इसके अलावा आत्महत्या तथा हत्या की भी कुछ घटनाएं हुई थीं जिन्हें अब इस कांड के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन, इन तमाम वर्षों में पुलिस ने इन सभी तथ्यों पर कोई ध्यान तक नहीं दिया था।

प्रभावशाली अपराधी

अगर हम इन अत्याचारों के अपराधियों के नामों तथा पदों पर एक नजर डाल लें, जिनमें से अनेक को अब गिरफ्तार भी किया जा चुका है, तो खुद व खुद यह समझ में आ जायेगा कि पुलिस को कुछ भी दिखाई न देने का कारण क्या था? इन अपराधियों की सूची में एरोंडोल पंचायत समिति के लिए कांग्रेस (आइ) का सदस्य तथा कांग्रेस (आइ) के भूतपूर्व विधायक मुरलीधर पंवार का बेटा, संजय पवार, जलगांव नगर परिषद के कांग्रेस (आइ) पार्षदगण, राजू ताडवी तथा पंडित सपकाले, शिव सेना का जलगांव जिला अध्यक्ष व भुसावल नगर परिषद का सदस्य, एडवोकेट जगदीश कापड़े, शिव सेना का ही नंदूरबार तालुका अध्यक्ष, विजय चौधरी और डा० प्रमोद आचार्य तथा डा० शशिरी के नाम शामिल हैं। बताया है कि इस कांड में जलगांव नगर परिषद के कम से कम 27 सदस्य लिप्त थे, जिनमें से अधिकांश कांग्रेस (आइ) से ही हैं।

इन अपराधियों के सरगना-संजय पवार, राजू ताडवी तथा पंडित सपकाले-जलगांव से ही कांग्रेस (आइ) के विधायक, सुरेश कुमार जैन के नजदीकी बताये जाते हैं, जो जलगांव जिला परिपद का अध्यक्ष भी था। सुरेश जैन खुद मुख्यमंत्री शरद पवार का नजदीकी बताया जाता है, जो पहले शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस (एस) में भी रह चुका था। ताडवी की नगर के एक महत्वपूर्ण

उद्योगपति से भी गहरी घनिष्ठता बताते हैं, जिसकी ताडवी ने बड़ी-बड़ी सेवा की थी और जिसकी फैक्टरियों की यूनियनों को तोड़ा था। इस कांड के सरगनाओं की जुर्म की दुनिया में इतनी धूम थी कि पंडित सपकाले को तो नगर परिषद के लिये निर्विरोध चुन लिया गया था।

घिनौना षड्यंत्र

हमारी मुलाकात एक सत्रह वर्षीय लड़की से हुई, जो इस कांड की शिकार बनी उन मुट्ठीभर लड़कियों में थी जिन्होंने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करने की हिम्मत दिखायी हैं। इस लड़की ने हमें बताया कि अपनी मां के इलाज के सिलसिले में, जिसे एक महंगे आपरेशन की जरूरत थी, वह अस्पताल गयी हुई थी। अस्पताल में इसे सपकाले मिल गया और उसकी मुश्किल के बारे में जानकर उसने मदद देने की पेशकश की। सपकाले उसे एक कमरे में ले गया और उसे अपनी हवस का निशाना बनाया। बाद में उसे पीने के लिए कुछ दिया गया जिससे वह बेहोश हो गयी। इसी दौरान लड़की की अश्लील तस्वीरें खींच ली गयीं और उनके बल पर उसे ब्लैकमेल कर बार-बार हवस का निशाना बनने पर मजबूर किया गया।

जलगांव और भुसावल के अपने दौरे के दौरान हमें इसी बुनियादी कार्यपद्धति को थोड़े-बहुत फेर-बदल के साथ आजमाये जाने के अनेक उदाहरणों के बारे में पता चला। षड्यंत्र की शिकार हुई बदनसीब महिलाओं में से कई को तो इस गिरोह के सरदारों के संपन्न तथा प्रभावशाली ग्राहकों की हवस मिटाने के लिये करीब-करीब देह व्यापार तक करने पर मजबूर किया जा रहा था। कुछ अन्य महिलाओं को ब्लैकमेल करके इसके लिये मजबूर किया जा रहा था कि अपनी कुछ और मित्रों को इस जाल में फंसाने में इन अपराधियों की मदद करें। इस षड्यंत्र के जाल में शिकार के रूप में कितनी महिलाओं को फंसाया गया था, इसका ठीक-ठीक पता तो शायद कभी भी नहीं चल पायेगा। फिर भी अपने दौरे के क्रम में हमें जो जानकारियां मिली हैं उनके हिसाब से इस जाल में फंसायी गयी महिलाओं की संख्या कम से कम पांच सौ से ऊपर तो जरूर होगी।

पर्दापोशी की कोशिश

जैसे ही इस कांड का रहस्योद्घाटन हुआ और इसमें शासक पार्टी के प्रमुख स्थानीय नेताओं के लिप्त होने की सच्चाई सामने आयी, इस कांड को दबाने या उसकी गंभीरता को कम करके दिखाने की हर तरह की कोशिशें शुरू हो गयीं। पर्दापोशी की ये कोशिशें वास्तव में, पुलिस सुपरिंटेंडेंट दीपक जोग का तबादला किये जाने और उनकी जगह पर डी पी जाधव को लाये जाने के साथ जोर पकड़ चुकी थीं। जाधव ने चार्ज संभालने के तीन दिन के भीतर-भीतर उन सारे तथ्यों को नकारना शुरू कर दिया जो इससे पहले तक खुद पुलिस अधिकारियों द्वारा पेश किये जाते रहे थे। मिसाल के तौर पर पहले पुलिस ने इस षडयंत्र की शिकार हुई महिलाओं की संख्या पांच सौ आंकी थी, जो अब अचानक घटाकर 47 कर दी गयी। इसी प्रकार, पहले पुलिस ने चार सौ अश्लील तस्वीरें पकड़ने की बात कही थी जो संख्या अब घटाकर सिर्फ तीस कर दी गयी। पहले पुलिस के कब्जे में ब्ल्यू फिल्मों के कई कैसेट होने की बात कही गयी थी लेकिन अब, अचानक यह कहा जाने लगा कि पुलिस के पास ऐसा कोई भी कैसेट नहीं है। इसी तरह पहले यह कहा गया था कि यह षड्यंत्र तेहर वर्ष से चल रहा था लेकिन, जाधव ने बड़ी नंगई से इस अवधि को घटाकर सिर्फ छः महीना कर दिया।

इस पर राज्य भर में हंगामा उठाना स्वाभाविक था और 11 जुलाई से शुरू हुए राज्य विधानसभा के सत्र में भी इस पर शोर मचना ही था। अब सरकार को, छान-बीन का काम पूरा करने के लिए सी आइ डी की एक उच्चाधिकार प्राप्त तीन सदस्यीय टीम का गठन करना पड़ा जिसमें अरविंद इनामदार, मीरा बोरवानकर तथा दीपक जोग को शामिल किया गया है। अपने जलगांव के दौरे के क्रम में हमने इस टीम से मुलाकात की और उसके सामने अपनी मांगें रखीं तथा छान-बीन की प्रक्रिया व अन्य संबद्ध प्रश्नों के सिलसिले में अपने सुझाव भी दिये। जनता के भारी दबाव में सरकार को जलगांव नगर परिषद को भंग करने पर भी विचार करना पड़ा है, क्योंकि इस परिषद में अपराधी तत्वों की भरमार है और उनमें से अनेक का तो इस कांड में सीधे-सीधे हाथ रहा था।

जनता ने आवाज उठाई

जलगांव शहर में तथा जिले में सी पी आइ (एम) की एक छोटी सी किंतु बहुत सक्रिय इकाई है जबकि सी पी आइ का इस इलाके में कहीं व्यापक तथा पुराना आधार है, सी पी आइ के नेता एस एन भालेराव, पहले विधायक रहे थे और जलगांव नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे। बहरहाल, अगर सी पी आइ (एम) संख्या बल में पीछे है तो कार्यकर्ताओं के उत्साह और उनकी तत्काल कारवाई करने की क्षमता के लिहाज से उतनी ही आगे भी है। इसलिए, इस कांड के बारे में आरंभिक जानकारी आनी शुरू होने के सिर्फ चार दिन के अंदर-अंदर, 25 जून को दोनों पार्टियों से जुड़े जन संगठनों द्वारा पहल कर युवा विद्यार्थी महिला क्रांति समिति का गठन किया जा चुका था जिसमें एस एफ आइ, जनवादी नौजवान सभा तथा भारतीय महिला फैडरेशन को शामिल किया गया था। (जनवादी महिला समिति की अभी तक वहां कोई इकाई नहीं है लेकिन, आंदोलन के क्रम में जल्द ही उसकी स्थापना हो जायेगी।) 25 जून को, इस वीभत्स कांड के खिलाफ और उसके अपराधियों को कड़ी सजा दिलाये जाने की मांग को लेकर जलगांव में जो पहला संयुक्त प्रदर्शन हुआ था वह इन तीनों संगठनों द्वारा गठित क्रांति समिति द्वारा ही आयोजित किया गया था और स्थानीय प्रैस ने उस कार्रवाई को प्रमुख स्थान भी दिया था।

इसके बाद, एक कहीं व्यापक अत्याचारविरोधी नागरिक

क्रांति समिति का गठन किया गया, जिसमें उक्त संगठनों के अलावा दूसरे भी अनेक संगठन शामिल हुए। इस समिति के आह्वान पर ही 28 जून को जलगांव में मुकम्मल बंद किया गया। इसके बाद, 29 जून को एक विशाल जुलूस निकला जिसमें कोई चार हजार लोगों ने हिस्सा लिया और उनमें भारी तादाद में महिलाएं तथा लड़कियां भी शामिल हुई। इस कार्रवाई में, पुणे से जनवादी महिला समिति की राज्य कार्यकारिणी की सदस्य शुभा शमीम और पुणे से निकलने वाली मराठी की महिलाओं की पत्रिका, **विद्या बल** की संपदा ने भी हिस्सा लिया। 2 जुलाई को कार्रवाई समिति ने नागरिकों की ओर से जिलाधीश को एक विस्तृत ज्ञापन दिया। इसके बाद, 7 जुलाई को जलगांव में पत्रकारों ने एक मौन जुलूस निकाला और एक आम सभा की जिसमें सी पी आइ (एम) राज्य सेक्रेटेरियट सदस्य तथा विधायक, के एल मालबाडे मुख्य वक्ता थे। राज्य विधायिका में भी, सी पी आइ (एम) राज्य सचिव, प्रभाकर सांझगिरी ने विधान परिषद में तथा मालबाडे ने, विधानसभा में सबसे आगे बढ़कर इस मुद्दे को उठाया।

पतनशील संस्कृति का परिणाम

इसी पृष्ठभूमि में 13 से 15 जुलाई तक हमने जलगांव व भुसावल का दौरा किया। 13 जुलाई को वहां एक विशाल प्रदर्शन हुआ और आम सभा हुई जिसे भारतीय रिपब्लिकन पार्टी व बहुजन महासंघ की ओर से प्रकाश आंबेडकर तथा माखराम पवार, कामगार अघाडी की ओर से डा० दत्ता सावंत, सी पी आइ की ओर से एस एन भालेराव तथा सी पी आइ [एम] की ओर से मैंने, संबोधित किया। सी पी आइ (एम) के मुकुंद रानाडे ने सभा का संचालन किया। उसी शाम को हमने, युवा विद्यार्थी महिला क्रांति समिति द्वारा आयोजित महिलाओं तथा छात्राओं की एक विशाल सभा को भी संबोधित किया।

जैसाकि पहले कहा जा चुका है, हमने इस षड्यंत्र की शिकार हुई कुछ महिलाओं व लड़कियों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया। दूसरी ओर हमने जिलाधीश से और सी आइ डी की जांच टीम से भी मुलाकात की। आखिरी दिन, हममें से कुछ लोगों ने जलगांव के निकट ही स्थित भुसावल में भी एक सभा को संबोधित किया। हमारी यात्रा के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस कांड तथा इसके लिये जिम्मेदार अपराधियों की कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करने के साथ ही, हमने यह दृष्टिकोण भी लोगों के सामने रखा कि इस तरह के कांडों को कोई अलग-थलग घटना न मानकर, साम्राज्यवादियों के इशारे पर थोपी जा रही नई आर्थिक नीतियों के साथ आयी पतित संस्कृति की बाढ़ के साथ जोड़कर देखना चाहिए। इस तरह के कांड का होना, एक ओर कांग्रेस (आइ) और दूसरी ओर सांप्रदायिक राजनीति करने वाली पार्टियों के घोर नैतिक पतन को भी दिखाता है। इस सिलसिले में यह गौर-तलब है कि इस कांड का भंडाफोड़ होने के बाद से मुख्यमंत्री शरद पवार ने, एक बार भी जलगांव का दौरा नहीं किया है। पर्दापोशी की सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद, सभी अपराधियों को सजा दिलाने और भुक्तभोगियों को जरूरी पुर्नवास सहायता दिलाने के लिये संघर्ष, अविराम जारी रहेगा।

महिला बीड़ी श्रमिकों की जनसभा

बीड़ी उद्योग में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं की एक विराट जनसभा 7 अगस्त को शोलापुर में आयोजित की गई। इसका आयोजन लाल बापता श्रमिक कामगार यूनियन [सी आइ टी यू] की ओर से किया गया था। इसी यूनियन के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के दूसरे वर्गों के साथ-साथ शोलापुर में कार्यरत बीड़ी मजदूरों को भी संगठित किया गया है।

जनसभा की अध्यक्षता नरसिया एडम ने की। सी आइ टी यू के सचिव कामरेड पी के गांगुली ने इसका उद्‌घाटन करते समय बीड़ी मजदूरों को आह्वान किया कि वे कानपुर सम्मेलन में अपनाए गए 18 सूत्रीय मांग पत्र को कार्यरूप दिलाने हेतु निरंतर संघर्ष करें। बीड़ी मजदूरों [महिलाओं] की दयनीय स्थिति की चर्चा करते हुए कामरेड गांगुली ने कहा कि वे असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़े वर्गों में एक है। इस उद्योग की कुल श्रमशक्ति का सत्तर प्रतिशत भाग कामकाजी महिलाएं हैं। उनका विशेष रूप से शोषण किया जाता है। कामरेड गांगुली ने केंद्रीय सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक निदेशित आर्थिक नीतियां अपनाई हुई हैं। इससे न केवल देश की आर्थिक संप्रभुता को साम्राज्यवादी एजेंसियों के पास गिरवी रखा जा रहा है अपितु असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर तो विशेष रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

इस अवसर पर अनेक कामकाजी महिला नेताओं ने भी भाषण दिये। उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि किस प्रकार उन्हें पहचान पत्रों, आवासीय सुविधाओं, ई एस आई, भविष्य निधि सुविधाओं और यहां तक कि बीड़ी मजदूर कल्याण कोष के लाभों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने संघर्ष तेज करने का अपना दृढ़ संकल्प भी दोहराया।

कामरेड वी जे के नायर, के एल बजाज, रविन्द्र मोकाशी तथा नरसिया एडम ने भी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में बीड़ी मजदूरों से 29 सितंबर को शोलापुर बंद करने तथा नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो 16 अगस्त से सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में चलाया जा रहा है, में शामिल होने का आह्वान किया गया।

जनसभा के पश्चात् यूनियन की कार्यकारिणी तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई जिसमें बीड़ी मजदूरों के लिये पृथक यूनियन बनाने तथा उसे पंजीकृत कराने का निर्णय किया गया।

कामकाजी महिलाओं की कार्यशाला का आयोजन

☐ पी. के. गांगुली

सी आइ टी यू की ओर से 27-29 जून को दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ एल ओ) द्वारा आयोजित यह कार्यशाला नौएडा में लगाई गई। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से हिन्दी जानने वाले 24 साथियों ने इसमें भाग लिया। बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका कार्यशाला में कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, यद्यपि उसकी ओर से कार्यशाला में भाग लेने के लिये कुछ नाम जिनमें एक महिला साथी भी शामिल थी, भेजे गए थे। सी आइ टी यू ने निर्णय लिया था कि भाग लेने वालों में पचास प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए। तथापि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त कोई और दूसरा राज्य निर्धारित संख्या में महिलाओं को नहीं भेज सका। कार्यशाला में केवल पांच महिलाओं ने भाग लिया। वे थी: रतना दत्ता, फरीदा बेगम (पश्चिम बंगाल), लता सिंह (दिल्ली), सरोज वासिष्ठ (हरियाणा) तथा सम्पदा बेगम (राजस्थान)।

कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया:-

1) न्यूनतम वेतन, श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कदम, बाल श्रमिक इत्यादि। सीटू सचिव कामरेड पी के गांगुली ने इन विषयों पर आवश्यक एवं ठोस जानकारी दी।

2) कामरेड वृंदा कारात ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर प्रकाश डाला।

3) आइ एल ओ में श्रमिक शिक्षा विभाग के प्रभारी स्टर्लिंग स्मिथ ने सुरक्षा, व्यावसायिक खतरों, ट्रेड यूनियन अधिकारों, आइ एल ओ के सम्मेलनों जैसे विषयों की जानकारी दी।

कार्यशाला का उद्घाटन सी आइ टी यू के अध्यक्ष कामरेड ई० बालानंदन संसद सदस्य ने किया। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के विस्तृत होने की ओर साथियों का ध्यान दिलाया और कहा कि इस क्षेत्र में देश की 90% श्रमशक्ति कार्यरत है। उन्होंने बल देकर कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की यूनियनों में संगठित करने तथा देशव्यापी संघर्षों में लामबंद करने की आवश्यकता है ताकि उनकी जीवन स्थितियों में सुधार लाया जा सके।

न्यूनतम वेतन के प्रश्न पर कामरेड पी के गांगुली ने भारत सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह न्यूनतम वेतन के लिए कसौटी का निर्धारण करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई राष्ट्रीय वेतन नीति भी नहीं बनाई है। वह आवश्यकता पर आधारित वेतन निश्चित करने के लिए 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णयों को कार्यरूप देने से इन्कार कर रही है। उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के पक्षपात के विरुद्ध तथा असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा कदमों एवं सभी श्रम कानूनों को कार्यरूप देने के लिए संघर्षों को तीव्रतर करने की आवश्यकता पर बल दिया। बाल श्रमिकों की समस्या पर चर्चा करते हुए कामरेड गांगुली ने कहा कि यह समस्या विश्व में विशेष रूप से भारत में गम्भीर होती चली जा रही है। एक अनुमान के अनुसार लगभग दस करोड़ बाल श्रमिक विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। बाल मजदूरी पूंजीवाद का प्रत्यक्ष प्रतिफल है। अतः बाल मजदूरी समाप्त करने का अर्थ है सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करना तथा शिक्षा प्रसार करना। आइ एल ओ तथा राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान की ओर से ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर बाल मजदूरी की समाप्ति के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान में बाल मजदूरी एकांश के प्रभारी डाक्टर महावीर जैन ने भी कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने संस्थान द्वारा आइ एल ओ के सहयोग से इस सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला।

जनवादी महिला समिति की महासचिव वृंदा कारात ने असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कामकाजी महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण कार्रवाईयों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि उन्हें समान अधिकारों से वंचित रखा जाता है और उनकी मांगों की दृष्टिलोप कर दिया जाता है। उन्होंने घरेलू काम धंधों तथा स्वरोजगार में लगे श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा भी की। उन्होंने बताया कि जहां भारत की नब्बे प्रतिशत श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है वहीं अस्सी से नब्बे प्रतिशत कामकाजी महिलाएं घरेलू काम धंधों तथा स्व रोजगार में लगी हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि घरेलू काम धंधों (उद्योगों) में लगी महिलाओं को भी असंगठित क्षेत्र में एक वर्ग माना जाना चाहिए। उन्हें विशेष महत्व देने के साथ-साथ उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे देश में घरेलू काम धंधे (उद्योग) काफी लोकप्रिय है और कामकाजी महिलाएं इसकी प्रमुख श्रम शक्ति हैं, नयी आर्थिक तथा औद्योगिक नीतियों के कारण इसमें कार्यरत कामकाजी महिलाओं की संख्या में और वृद्धि हुई है, यह एक तथ्य है किन्तु इस पर भी उनकी कामकाजी स्थितियां दयनीय बनी हुई है। उन्होंने बताया कि संगठित आधुनिक उद्योग नयी आर्थिक नीतियों से लाभान्वित हो रहा है, वह घरेलू उद्योग द्वारा तैयार किये गए उत्पाद ले लेता है और इस (घरेलू उद्योग) में काम करने वाले श्रमिकों का

निर्ममतापूर्ण ढंग से शोषण करता है। कामकाजी महिलाएं सर्वाधिक शोषित होती हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिये उनकी ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

आइ एल ओ के श्री स्टर्लिंग स्मिथ ने अपने भाषण में असंगठित क्षेत्र में प्राथमिक सुरक्षा तथा व्यावसायिक खतरों से श्रोताओं को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार इन विषयों के साथ-साथ न्यूनतम वेतन तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों जैसे प्रश्नों पर आइ एल ओ सम्मेलनों के प्रस्तावों की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा सुरक्षा तथा व्यावसायिक खतरों के मामले को वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, श्रमिकों को अपनी यूनियनें और मजबूत बनानी चाहिए तथा सरकार एवं निजी क्षेत्र के प्रबंधनों में सुरक्षा तथा व्यावसायिक खतरों के प्रश्न पर उनके न्यूनतम स्तर को बनाए रखने सम्बन्धी प्रस्तावों को कार्यरूप दिलाने के लिए संघर्ष किये जाने चाहिए। उन्होंने इस बिंदु पर बल दिया कि मजदूर संघ जितने मजबूत होंगे, कार्य स्थल उतने ही अधिक सुरक्षित होंगे।

इन भाषणों के पश्चात् कार्यकर्ताओं ने समूहों में सविस्तार बहस की। उन्होंने सभी विषयों पर गहन चर्चा की। न्यूनतम वेतन के प्रश्न पर संघर्ष तीव्रतर करने के सुझाव दिये गए ताकि आवश्यकता पर आधारित वेतन, कामकाजी महिलाओं को उनके सहयोगी पुरुष श्रमिकों के समान वेतन दिलाए जा सकें। कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया कि इस सम्बन्ध में श्रमिकों को अपने रुख में परिवर्तन लाना होगा। बाल मजदूरी तथा सुरक्षा एवं व्यावसायिक खतरों जैसे प्रश्नों पर कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मत विचार व्यक्त किया कि ट्रेड यूनियन आंदोलन तथा विशेष रूप से सी आइ टी यू कार्यकर्ताओं को इन प्रश्नों पर कठिन परिश्रम करना चाहिए।

कार्यकर्ताओं ने कामकाजी महिलाओं विशेष रूप से घरेलू उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं की समस्याओं में भारी दिलचस्पी ली। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि सी आइ टी यू को घरेलू उद्योगों के श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र में एक अलग वर्ग मानना चाहिए। और इसके साथ ही योजनाबद्ध ढंग से उन्हें यूनियनों तथा संघर्षों में लाया जाना चाहिये। यह विचार भी व्यक्त किया गया कि सभी राज्य समितियों तथा कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति को असंगठित क्षेत्र तथा विशेष रूप से घरेलू उद्योगों में कार्यरत कामकाजी महिलाओं को ट्रेड यूनियन आंदोलन में लाने के लिये विशेष प्रयास करने चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया कि कार्यशाला के लिये कामकाजी महिलाओं के पचास प्रतिशत कोटे को पूरा किया जाना कामकाजी महिलाओं के मध्य हमारी राज्य समितियों के काम की दुर्बलता को ही व्यक्त करता है। भले ही कामकाजी महिलाओं का कोटा पूरा न किया गया हो, फिर भी कार्यशाला में भाग लेने वाली पांच महिलाएं सक्रियतापूर्वक सामूहिक बहस में शामिल हुई हैं और उन्होंने कार्यशाला की परिचर्चा में भी भाग लिया है। कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर विचार विनिमय जिसे कामरेड वृंदा करात ने गतिशील बनाया ने, कार्यशाला में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं पर अच्छा प्रभाव डाला और उन्होंने विचार व्यक्त किया कि यह समस्या केवल कामकाजी महिलाओं की ही नहीं अपितु हम सभी की तथा समूचे तौर पर सी आइ टी यू की समस्या है।

कार्यशाला ने इस विचार विमर्श को राज्यों में आगे बढ़ाने के लिये कार्ययोजना प्रस्तुत की गई।

सी आइ टी यू के महासचिव कामरेड एम के पंधे ने कार्यशाला में समापन भाषण दिया। उन्होंने संक्षेप में असंगठित क्षेत्र के श्रकिमों की समस्याओं पर प्रकाश डाला और मांगों को मनवाने हेतु संयुक्त संघर्षों को तीव्रतर करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सी आइ टी यू ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को गम्भीरतापूर्वक लिया है। इसलिए सभी राज्य समितियां तथा यूनियनें श्रमिकों के इस वर्ग को सुनियोजित ढंग से लामबंद करें तथा उन्हें नयी आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों के विरोध में देश भर में चल रहे संघर्षों में लाया जाए। □

पंजाब की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा निदेशक, समाज कल्याण का घेराव

पंजाब के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने निरीक्षकों की भर्ती में धांधली किये जाने के विरोध में बीस जून के निदेशक समाज कल्याण चण्डीगढ़ का घेराव किया। ज्ञातव्य है कि गत 16 जनवरी को निरीक्षकों के पचास प्रतिशत कोटे को पूरा करने के लिये लिखित परीक्षा ली गई थी। जब परीक्षा का परिणाम निकाला गया तो आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन, पंजाब को उसमें हेराफेरी करने और भाई-भतीजावाद चलाने का संदेह हुआ। यूनियन ने इस पर विभाग से परीक्षा परिणाम की प्रति देने की मांग की। विभाग तथा उसके निदेशक द्वारा प्रति देने में आनाकानी किये जाने पर कर्मचारियों द्वारा उस दिन (बीस जून) सुबह 9 बजे से निदेशक कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया जो दिन भर चला। अंतत: निदेशक को विवश होकर प्रति देनी पड़ी। इस अवसर पर आयोजित जनसभा का यूनियन की अध्यक्ष श्रीमती राजबिंद्र कौर के अतिरिक्त सुरेन्द्र कौर रक्कड़, रविन्द्र कौर समराला, सुरजीत कौर परीक्षाफल इत्यादि नेताओं ने भी सम्बोधित किया। इसी मध्य कुछ लड़कियों ने इस धांधलेबाजी के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

मांग दिवस : आंगनवाड़ी यूनियन पंजाब की ओर से 11 जुलाई को मांग दिवस मनाया गया। इसके लिये पंद्रह सौ पोस्टर छपवाए गए। इसी मध्य यूनियन की भटिंडा तथा फिरोजपुर के अतिरिक्त शेष सभी जिला इकाईयों के चुनाव करा दिये गए हैं। वर्ष के अंत तक सभी प्रखण्डों एवं जिलों में संगठनात्मक चुनावों का काम पूरा हो जाएगा। □

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की गतिविधियां

☐ डाक्टर के हेमलता

1. 17 जून की हड़ताल :

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका फेडरेशन के आह्वान पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने निजीकरण तथा अपनी अन्य मांगों के लिये 17 जून की हड़ताल में भाग लिया। राज्य के 15 जनपदों के लगभग तेरह सौ कार्यकर्ताओं ने हड़ताल की। यूनियन की राज्य इकाई की ओर से महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक को हड़ताल का नोटिस दिया गया था। अधिकारियों की ओर से कार्यकर्ताओं को धमकियां दी गई। यहां तक कहा गया कि यदि उन्होंने हड़ताल में भाग लिया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस पर भी विजेनगरम, प्रकाशम तथा कृष्णा जनपदों में हड़ताल संपूर्ण रही। अन्य जनपदों में स्थित परियोजनाओं में हड़ताल सफल रही। जहां हमारी यूनियन थी, वहां परियोजना स्तर तथा जिला स्तर पर जनसभाओं का आयोजन किया गया। दिन भर धरने दिये गए तथा जिला अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को मांग पत्र भेंट किये गए।

2. मांग दिवस :

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से दस जुलाई को मांग दिवस मनाया गया। हमने इस अवसर पर अपनी मांगों के संबंध में निदेशक महिला कल्याण एवं बाल विकास को मांग पत्र भेंट किये। इससे पूर्व पत्र का प्रारूप जिला शाखाओं को भेजा गया था। राज्य भर से दस हजार से अधिक पत्र विभाग के निदेशक को भेजे गए।

3. सम्मेलन :

नेलूर जिला शाखा का सम्मेलन 11-6-94 को हुआ। इसमें लगभग चार सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

विजाग जिला शाखा का दूसरा सम्मेलन 19-20 जून को हुआ। पहले दिन एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें छः सौ से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। जनजातीय महिलाएं दूरवर्ती क्षेत्रों से आईं। बस अड्डे तक पहुंचने के लिये उन्हें दस-पंद्रह किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। दूसरे दिन प्रतिनिधि सत्र हुआ। सचिव की रिपोर्ट पर बहस में सभी परियोजनाओं की प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंत में नयी समिति का गठन किया गया।

4. कक्षाएं :

यूनियन की गिने चुनी कार्यकर्ताओं के लिये श्रीकाकुलम तथा कुडापा जनपदों में दो दिवसीय कक्षाओं का आयोजन किया गया। कक्षाओं में प्रत्येक जनपद की लगभग तीस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महबूब नगर तथा निजामाबाद जनपदों में भी ऐसी कक्षाओं का आयोजन जुलाई और अगस्त में किया गया या किया जा रहा है।

प्रकाशम जनपद में हड़ताल से पूर्व सभी परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठकें हुईं। जिला सी आइ टी यू ने यूनियन की गतिविधियों में भारी दिलचस्पी ली है तथा यूनियन के कामों के लिये अपने एक साथी को नियुक्त किया है। इसके फलस्वरूप सभी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल में भाग लिया। सभी उन्नीस सौ कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को यूनियन की सदस्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला सम्मेलन सितंबर में होगा।

अनंतपुर जनपद में हमारा सी आइ टी यू से संबद्ध विद्युत कर्मचारी संघ के साथ संपर्क स्थापित हुआ है। उन्हीं की पहलकदमी पर 17 परियोजनाओं की प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। सभी आमंत्रित एक सौ बीस प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया और एक संयोजन समिति का गठन किया। उन्होंने दो हजार कार्यकर्ता एवं सहायिकताओं को हमारी यूनियन की सदस्य बनाने का निर्णय किया है। जिला सम्मेलन सितंबर में होगा। पहले उनकी यूनियन यू एन यू टी सी के साथ संबंधित भी किंतु अब उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके अपनी यूनियन को सी आइ टी यू के साथ संबंधित कराने का निर्णय कर लिया है।

श्री काकुलम तथा विजयनगरम जनपदों के सम्मेलन भी अगस्त-सितंबर में हो रहे हैं जबकि खम्माम जनपदो का सम्मेलन जुलाई के अंतिम सप्ताह में आयोजित हुआ था।

5. सदस्यता :

राज्य केंद्र में अब तक दो हजार दो सौ सदस्यों की सदस्यता शुल्क पहुंच चुका है। सदस्यता अभियान अनवरत जारी है।

6. भावी कार्यक्रम :

हमने तीस-इकत्तीस जुलाई को विजयवाड़ा में संगठन के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में यूनियन के पचास कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें भावी कार्यनीति एक कार्यक्रम पर विचार किया गया। ☐

अफगान महिलाओं की करुण कथा: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन!

बात आज से डेढ़ वर्ष पहले की है। मीना अज़ीज अपनी पांच वर्षीय बच्ची के संग काबुल की एक सड़क पर चल रही थी। शायद घर जाने के लिये या बाजार में खरीदारी करने के उद्देश्य से। अचानक मुज़ाहद्दीन गुरीलों की एक टुकड़ी ने दोनों मां-बेटी को रोक लिया।

गुरीलों ने उसकी बेटी की ओर संकेत करके कहा, "इसने पाश्चात्य वस्त्र पहने हैं। यह इस्लामी कानूनों का उल्लंघन कर रही है।"

उस घटना का स्मरण करते हुए मीना कहती है, "मुझे आज भी याद है, उस गुरीला ने कलाशीनोव पकड़ी हुई थी। उसका स्वर शांत था, किन्तु उसमें चेतावनी निहित थी। उसने मुझे सम्बोधित करते हुए कहा था, 'हम नहीं चाहते कि आपकी बच्ची ऐसे वस्त्र पहने। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।"

आज भी मीना अपनी उस 'गलती' पर विचार करती है, किन्तु वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसमें 'गलत' ही क्या था! उसकी बच्ची ने अपने मन वांछित वस्त्र तो पहने थे! बस यही उसकी गलती थी।

वह गुरीला के शब्दों पर पुन: विचार करती है। उसने कहा था, 'यह पहली बार है। हम नर्मी के साथ आपको समझा रहे हैं, दूसरी बार यदि ऐसी गलती दोहराई गई तो आपको (बच्ची को भी) गोली मार दी जाएगी।'

इस कड़ी चेतावनी के साथ मुज़ाहद्दीन गुरीला के साथ उसकी वार्ता (एक तरफा) समाप्त हुई थी। आज भी वह उस घटना को याद करके कांप उठती है।

जब से मुज़ाहद्दीन अर्थात् धर्म युद्ध करने वाले योद्धाओं ने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है तभी से इस प्रकार की घटनाएं घटने लगी हैं। यदि हम कहें कि ऐसी घटनाएं काबुल वासियों की दिनचर्या का अंग बन चुकी हैं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। मुज़ाहद्दीनों ने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित करते ही अपनी कठमुल्लावादी नीतियों को कार्यरूप देना शुरू कर दिया है। उनकी ओर से नित्य नये फरमान जारी करके जनता को परेशान किया जाता है। वे कभी पाश्चात्य सभ्यता के विरुद्ध अपना जेहाद छेड़ देते हैं तो कभी इस्लामी वेशभूषा जनता पर लादने के लिए धमकियां देते हैं और तरह-तरह से परेशान करते हैं। उपरोक्त घटना को उनकी कार्यशैली को एक झलक माना जा सकता है।

काबुल की जनता का रहन-सहन कभी कठमुल्लावादी नहीं रहा। तीन दशकों से अधिक समय तक उसने अपेक्षाकृत धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में खुली सांस ली है। शासन चाहे पूर्व शासक जहीर शाह का रहा हो या कम्युनिस्टों के नियंत्रण वाला। कभी भी जनता को इतनी बुरी तरह परेशान नहीं किया गया। लगता है मुज़ाहद्दीन तीन दशकों की धर्मनिरपेक्ष सरकारों की उपलब्धियों तथा प्रभावों पर पानी फेर देना चाहते हैं।

उन दिनों प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। विश्व विद्यालय स्तर की शिक्षा तथा पुरुष आधिपत्य वाले व्यवसायों जैसे इंजीनियरिंग इत्यादि के द्वार महिलाओं के लिये समान रूप से खोल दिये गए थे। महिलाएं अपने पतियों से तलाक ले सकती थीं, राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग ले सकती थी, और अपनी इच्छा के अनुरूप पश्चिमी वेशभूषा पहन सकती थीं।

यद्यपि उन दिनों भी नियोजित विवाह तथा अजनबी व्यक्ति से पर्दा करने जैसी पुरानी प्रथाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित थीं तथापि महिलाएं अपेक्षाकृत स्वतंत्रता का आनंद ले रही थीं और पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने की अपेक्षाएं रखती थीं।

काबुल की महिलाएं परम्परागत ढंग से अत्यंत शिक्षित, सर्वदेशीय एवं स्वछंद विचारों की रही हैं। 1992 में जब से मुज़ाहद्दीन का वर्चस्व स्थापित हुआ है उन्हें सर्वाधिक क्षति झेलनी पड़ी है। तभी से इस शहर (काबुल) की महिलाओं को इस प्रकार की असुखद स्थितियों तथा कटु सत्यों को झेलना पड़ रहा है। वह भी ऐसे लोगों (मुज़ाहद्दीन) के हाथों जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ होते हैं, और उनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण होती है। अनेक बार इन लोगों ने उन महिलाओं के मुंह पर तेजाब डाला है जिन्होंने साज-सज्जा की थी, या उन्होंने पेंट पहन रखी थी, पर्दे से अपना मुंह नहीं ढांपा था। उन्हें भयानक परिणाम भुगतने या प्राणों से हाथ धो बैठने की धमकियां दी गई।

इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत अनेक महिलाओं को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। उन्हें कहा गया है कि वे अपनी शिक्षा जारी नही रख सकतीं। कुछ व्यवसायों में तो महिलाओं की उपस्थिति अत्यंत सीमित बना दी गई है। "तीस वर्षों तक स्वतंत्रता का आनंद लेने के पश्चात् अब हम मध्य युग की ओर लौट रहे हैं," शाइस्ता गज़नबी ने अपने हृदय की पीड़ा को इन शब्दों में व्यक्त किया था। शाइस्ता काबुल विश्व विद्यालय में वैटरनरी विज्ञान की छात्रा रह चुकी है।

"मैं मुज़ाहद्दीनों से घृणा करती हूं। वे स्वार्थी लोग हैं। वे चाहते

हैं कि महिलाएं घर की चार दीवारी में बंद रहें; उनकी बांदी बन कर रहें; खाना पकाएं और कपड़े धोएं।'' आजिज ने अपनी वेदना इन शब्दों में व्यक्त की, ''मुझे पर्दा पसंद नहीं है। हम पश्चिमी लोगों की भांति मुक्त एवं स्वच्छंद विचरण करना चाहती हैं, हम भी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती हैं।''

राष्ट्रपति बुरहानुदीन रब्बानी ने अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ विशाल स्तर पर पक्षपात होने की घटनाओं से इन्कार किया है, तथापि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ जनूनी गुरीले इन अत्याचारों के लिए उत्तरदायी हैं।

''इसमें संदेह नहीं मुजाहदीनों में ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो महिलाओं के लिये सिरदर्द बने हुए हैं। किन्तु अफ़गानिस्तान में शुरू से ही महिलाओं के लिये कोई समस्या नहीं रही है। वे जिस क्षेत्र को चाहे चुन सकती हैं, उनके लिये किसी प्रकार की रुकावट नहीं है,'' राष्ट्रपति ने एक भेंटवार्ता में यह बात कही।

राज्य का संरक्षण प्राप्त महिला आंदोलन ने अपना स्वर नर्म बना लिया है और कठमुल्लावादियों के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपना रखी है। आंदोलन की एक नेत्री फरीदा रशीद का कहना है, ''हमें अपनी परम्पराओं में सुधार लाना और अल्ला के कानूनों का पालन करना होगा। मुजाहद्दीनों के अन्तर्गत हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा।''

किन्तु राष्ट्रपति रब्बानी अपने ही प्रधानमंत्री के साथ गृहयुद्ध में उलझे हुए हैं। शहर की गलियों तथा बाजारों में उनका आदेश नहीं चलता। वहां के कानून की व्याख्या वही होती है जो गुरीले करते हैं। प्रत्येक जनपद का पृथक कानून होता है। जनपद पर जिस गुरीला गुट का नियंत्रण होता है, वहां उसी का कानून चलता है। काबूल शहर के विभिन्न भागों पर भिन्न-भिन्न गुरीला गुटों का नियंत्रण है। अत: वहां के कानून भी भिन्न-भिन्न हैं।

इस समय जबकि अफ़गानिस्तान भयानक गृह युद्ध की लपेट में हैं, कहा नहीं जा सकता कि अन्तत: कौन-सा गुरीला गुट जीतेगा और किस प्रकार का इस्लामी कानून देश पर लागू होगा। वर्तमान परिस्थितियों में क्या विश्वविद्यालय, क्या सरकारी कार्यालय या मंत्रियों के कार्यालय सभी बंद पड़े हैं। पूरी की पूरी प्रशासकीय व्यवस्था ठप्प पड़ी है। कहना कठिन है कि अफ़गानिस्तान को शांति कब नसीब होगी।

''मैं समझती हूं कि ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना अवश्यंभावी है। 14 वर्षीय गृह युद्ध के पश्चात् इस्लामी व्यवस्था अधिक आक्रमक हो गई है। जो लोग इससे प्रसन्न नहीं हैं, वे या तो यहां से चले गए हैं या चले जाएंगे, फायोना गिल ने इन शब्दों में अपने विचार व्यक्त किये। वह राहत कार्य करने वाले ब्रिटिश दल की सदस्या है और काम के बदले अनाज कार्यक्रम चला रही है।''

□

[पेज 2 से]

दस हजार से अधिक श्रमिकों ने धरनों में भाग लिया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की प्रमुख नेताओं कामरेड राजविंद्रकौर, निर्मल कांता, सुरेन्द्र कौर, सरबजीतकौर, सरोज, राजरानी, गुरतेज कौर, जागीर कौर, कैलाश, हरजीत कौर, दलजीत कौर, गुरजीत कौर तथा मनजीत कौर इत्यादि ने भिन्न-भिन्न स्थानों पर कर्मचारियों को संबोधन किया। हड़ताल की सफलता से जहां पंजाब सरकार में चिन्ता उत्पन्न हुई वहीं हड़ताल विरोधी सुरेंद्र कौरें टीचर गुट का पूर्णतया सफाया हो गया है।

बिहार : बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से 17 जून को हड़ताल की गई। राज्य की राजधानी पटना के लोक स्वास्थ्य संस्थान में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों के अविभावक भी सम्मिलित हुए। इसकी अध्यक्षता श्रीमती शीला सिन्हा ने की। इस अवसर पर श्रीमती शांति मिश्रा, श्रीमती धर्मशीला सिन्हा, श्रीमती शांति कुमारी, श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती मनोरमा देवी तथा कुमारी संध्या पांडे इत्यादि नेताओं ने उपस्थिति को संबोधित किया।

पश्चिम बंगाल : आंगनवाड़ी परियोजनाओं के विरोध में आयोजित हड़ताल को अभूतपूर्व सफलता मिली है। राज्य समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी परियोजनाओं, केंद्रों तथा जिला स्तरों पर जनसभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में साठ-सत्तर प्रतिशत कर्मचारी शामिल हुए। इस अवसर पर 25 हजार लीफलेट तथा 15 हजार पोस्टर प्रकाशित किये गए एवं दीवारों पर चिपकाए गए। कार्यकर्ताओं ने हाथ से लिखकर 5-5 पोस्टर प्रत्येक केंद्र के आगे चिपकाए। इसके अतिरिक्त विभिन्न केंद्रों में विरोध प्रदर्शन किये गये और अधिकारियों को मांग पत्र देकर आंगनवाड़ियों का निजीकरण न करने की मांग की गई। संगठनों के नेताओं को भी जनसभाओं को संबोधित करने के लिये निमंत्रित किया गया।